न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः—521 / 2022

पीठासीन अधिकारीः—**दिव्या** RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 53, 88, 188 आर.टी.ए.

1 सतनाम सिंह पुत्र श्री चगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

— वादी

बनाम्

1. जंग सिह पुत्र श्री हरदम सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. जन्टा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. दर्शन सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. फौजा सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. मैंगा सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
7. लाभ सिंह पुत्र श्री चगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
8. सुखदीप कौर पत्नि जन्टा सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. मनोज कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. हर्शदीप कौर पत्नी रामकिशन सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. जोतराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. मोहनलाल पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

— प्रतिवादीगण

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

उपस्थित :—

1. श्री भूपेन्द्र सिंह सिद्धू — अधिवक्ता वादी
2. श्री नवील गोयल प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8
3. श्री कुनाल गौड़ प्रतिवादी सं. 4, 6
4. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 15

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

दिनांक 04.03.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतुत किया जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 व 12 ता 14 के पिता मनफूलराम पुत्र श्री अमराराम के नाम सांझा खाता

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

में चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू पटवार हल्का हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2077–80 के खाता सख्या 49/85 में आराजी दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है कि:– प.न.103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/.215, 16/2/.038, 17 ता 19, 22 ता 24/.253 है.प्र., 25/1/.215, 25/2/.038, प.न.103/220 (45) कि.न. 2 ता 4/.253 है.प्र., 5/1/.215, 5/2/.038, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24/.253 है.प्र., प.न.103/221 (58) कि.न. 1 ता 4/.253 है.प्र., प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 12, 17 ता 24/.253 है.प्र. कुल तादादी 45 किता यानि 10.373 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी चक 17 एलएलडब्लयू सैटलमेन्ट से पूर्व से हिस्सानुसार कुल हिस्सा 1538 हिस्सा जिसमें मनफूल वल्द अमरा राम जाति 716 हिस्सा, जगराज सिंह – चगड सिंह पिसरान चनन सिंह बहिस्सा बराबर 411 हिस्सा, तोता सिंह – जसवन्त सिंह पिसरान चन्दा सिंह 411 हिस्सा दर्ज थी।

यह कि वाद की चरण सख्या 3 में दर्जानुसार इन्ही खातेदारान के नाम से चक नम्बर 21 एमएमके पटवार हल्का मानुका तहसील हनुमानगढ में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2018 से 2021 तक की जमाबंदी में 1538 हिस्सा कृषि भूमि दर्ज है जिसकी तफसील निम्न है – चक नम्बर 21 एमएमके प.न.96/209 (30) कि.न. 21, प.न.95/209 (31) कि.न. 24, 25, प.न.94/210 (33) कि.न. 6 ता 19, 22 ता 25, प.न.95/210 (34) कि.न. 1 ता 13, 20, प.न. 96/210 (35) कि.न. 1 तादादी 36 किता यानि 9.108 है.। जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 व 4 में वर्णित कृषि भूमि मे दोनो चको के खातेदारान एक ही है तथा हिस्सा भी एक ही दर्ज है, अर्थात दोनो चको की कुल तादादी 19.998 है. आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज मनफूलराम पुत्र अमरा राम, जगराज सिंह – चगड़ सिंह पिसरान चनन सिंह व तोता सिंह–जसवन्त सिंह पिसरान चन्द सिंह के मध्य अर्सा पूर्व आराजी का तबादला हुआ था। तबादलानुसार मनफूल पुत्र श्री अमरा राम ने चक नम्बर 21 एमएमके की तादादी 9.108 है. आराजी प्राप्त की थी।

यह कि उपरोक्त वर्णित चक नम्बर 21 एमएमके के तादादी 9.108 है. आराजी में मनफूल पुत्र श्री अमराराम द्वारा अपनी आराजी को अपने पुत्रों प्रतिवादीगण संख्या 12 को 2.446 है., प्रतिवादी सख्या 13 को 1.771 है., प्रतिवादी सख्या 14 को 1.939 है. तथा खातेदार मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाट निवासी हिरणावाली को 2.446 है., रणजीत सिंह पुत्र श्री गिरधरीलाल जाति जाट निवासी हिरणावाली को 0.506 है. आराजी दी जो वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 12 ता 14 व शेष खातेदारान के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 11 की वर्तमान में चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू में कब्जा काश्त आराजी है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में कुल तादादी 41 किता तादादी 10.373 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है तथा विवादित खाता दर्ज है।

यह कि उपरोक्त वर्णित चरणानुसार प्रतिवादीगण सख्या 12 ता 14 के पिता मनफुल पुत्र अमरा राम का हिस्सा 21 एमएमके में दर्ज होने तथा आराजी प्राप्त होने के कारण चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा की आराजी शेष नही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में अभी भी मनफूल वल्द अमरा राम का नाम दर्ज होने से खाता विवादित दर्ज हो गया है तथा हिस्सा कसी के सम्बन्ध में विवाद रहता है इस कारण वादी इस आशय से घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है कि उक्त चक 17 एलएलडब्लयू के खातेदार मनफूल पुत्र श्री अमरा राम का नाम कलमजन किया जाकर विवादित खाता दुरूस्त किया जावे।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी [illegible] 17 एलएलडब्लयू में दर्ज हिस्सानुसार वादी 1.336 है. यानि 5 बीघा 6 बिस्वा का [illegible] है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अच्छी में अच्छी व [illegible] विभाजन करवाकर रकमराज अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

यह कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में सांझी दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंट, सीव व रकमराज को लेकर तनाजा रहता है इसलिए वादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक हो चुकी है कि प्रतिवादीगण, वादी के कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे न्यायालय चलकर खाता दुरूस्त करवा लेवे तथा अच्छी में अच्छी व मन्दी में मन्दी के हिसाब से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लेवे तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

इसलिए आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमायी जावे कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 मे दर्ज चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न.103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/.215, 16/2/.038, 17 ता 19, 22 ता 24/.253 है.प्र., 25/1/.215, 25/2/.038, प.न.103/220 (45) कि.न. 2 ता 4/.253 है.प्र., 5/1/.215, 5/2/.038, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24/.253 है.प्र., प.न.103/221 (58) कि.न. 1 ता 4/.253 है.प्र., प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 12, 17 ता 24/.253 है.प्र. कुल तादादी 45 किता यानि 10.373 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता में खातेदार मनफूल पुत्र श्री अमरा राम जाति जाट निवासी हिरणावाली का नाम कलमजन किया जावे।

यह है कि वाद पत्र की चरण सख्या 2 में दर्ज आराजी चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न.103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/.215, 16/2/.038, 17 ता 19, 22 ता 24/.253 है.प्र., 25/1/.215, 25/2/.038, प.न.103/220 (45) कि.न. 2 ता 4/.253 है.प्र., 5/1/.215, 5/2/.038, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24/.253 है.प्र., प.न. 103/221 (58) कि.न. 1 ता 4/.253 है.प्र., प.न.104/219 (39) कि.न. 11, 12, 17 ता 24/.253 है.प्र. कुल तादादी 45 किता यानि 10.373 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता आराजी का वादी के नाम 1.336 है. का अच्छी में अच्छी व मन्दी में मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 की ओर से अधिवक्ता नवील गोयल ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 4, 6 की तरफ से अधिवक्ता कुनाल गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 1, 7 ने जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 ने अलग अलग राजीनामा पेश किये जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं. 3, 4, 6 के मध्य दिनांक 05.12.2022 को पेश राजीनामा जिसमें प्रतिवादी सं. 4, 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में जरिये बैयनामा दिनांक 27.7.22 को बेचान करने का अंकन किया है जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 3 ने जवाब दावा अलग से पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी दर्शन सिंह का नाम कलमजन करने पर कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 10, 12 ता 14 की तलबी जरिये समाचार पत्र करवाई गई, बार बार आवाज लगाने पर भी हाजिर नहीं आने के कारण इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी सतनाम सिंह ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया और प्रदशतः दस्तावेज 1ए, 2, 3, 4 करवाई गई। आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी प्रार्थना पत्र वादी सतनाम सिंह ने पेश किया जो स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 10 पर मनोज कुमार पुत्र महावीर प्रसाद को संयोजित वाद शीर्षक किया जावे। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया गया। दिनांक 01.03.2024 को वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 द्वारा पुनः सामूहिक हाजिर न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया जिसमें **वादी एवं उक्त प्रतिवादीगण द्वारा** लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा पेश किया कि चक नम्बर 17 एल.एल.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85 में बलजिन्द्र सिंह व सुखमन्द्र सिह पुत्रगण अंग्रेज सिंह प्रत्येक के नाम .759/10373 हिस्सा यानि .759 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त अनवान [illegible] में वर्णित कृषि भूमि में से खातेदार सतनाम सिह (वादी) व खातेदार लाभ सिंह (प्रतिवादी संख्या 7) से उक्त खाता मे उनके नाम दर्ज कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक [illegible] खरीद कर ली है। बलजिन्द्र सिंह व सुखमन्द्र सिंह प्रत्येक 1.328 है. [illegible] घोषणा प्राप्त कर वादी सतनाम सिह व प्रतिवादी संख्या 7 लाभ सिह का नाम कलमजन करवाकर बलजिन्द्र सिंह व सुखमन्द्र सिंह प्रत्येक 2.087 – 2.087 है. की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी एंव प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। पक्षकारान निम्नानुसार कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु सहमत हुए है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं [illegible] अधिकारी हनुमानगढ

हिस्सा प्रतिवादी 1 जंग सिंह – चक न.17 एलएलडब्लयू तह. हनुमानगढ के खा.स. 49/85, खाता जंग सिंह आदि, ज.स. 2077–80 के प.न.103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/.215, 16/2/.038, 17, 18, 23/.253 है.प्र., 24/.221 (कि.न. 17 के साथ चिपते हुए), 25/.222, (कि.न. 16 के साथ चिपते हुए) कुल 1.708 है.।

हिस्सा प्रतिवादी 2 जंटा सिंह – चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, ज.स. 2077–2080 के प.न.103/219 (40) कि.न. 19, 22/.253 है.प्र., प.न.103/220 (45) कि.न. 2, 9/.253 है.प्र. कुल 1.012 है.।

हिस्सा प्रतिवादी 5 बलजिन्द्र सिंह – चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 103/219 (40) कि.न. 24/.032 है., 25/.031, प.न.103/220 (45) कि.न. 19 ता 23/.253 है.प्र., प.न.103/221 (58) कि.न. 1, 2, 3/.253 है. कुल 2.087 है.

हिस्सा प्रतिवादी 8 सुखदीप कौर – चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 103/220 (45) कि.न. 4/.221, 5/1/.190, 5/2/.032, 7, 14, 17, 24/.253 है.प्र., प.न.103/221 (58) कि.न. 4/.253 है. कुल 1.708 है.।

हिस्सा प्रतिवादी 9 सुखमन्दर सिंह – चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 104/219 (39) कि.न. 12, 19, 22/.253 है.प्र., प.न.103/220 (45) कि.न. 3/.253, 4/.032, 5/.031, 8, 12, 13, 18/.253 कुल 2.087 है.।

हिस्सा प्रतिवादी 11 हर्षदीप कौर – चक नम्बर 17 एलएलडब्लयू तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि, जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24/.253 है.प्र. कुल 1.771 है.। यह कि प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 3 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाब व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वर्तमान प्रविष्टि को विलोपित कर राजीनामा की दफा 3 में वर्णितानुसार घोषणा कर उक्तानुसार खाता कायम कर रकमराज अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली में राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतएव पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादी वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री किया जाता है कि:– चक नम्बर 17 तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49/85, खाता जंग सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/0.215, 16/2/.038, 17 ता 19, 22 ता 24/.253 है.प्र., 25/1/[illegible]/2/0.038, प.न. 103/220 (45) कि.न. 2 ता 4/.253 है.प्र., 5/1/.215, 5/2/.038, [illegible] 9, 12 ता 14, 17 ता 24/.253 है.प्र., प.न. 103/221 (58) कि.न. 1 ता [illegible] (39) कि.न. 11, 12, 17 ता 24/.253 है.प्र. कुल 10.[illegible] है. [illegible] गै.मु. का निम्न प्रकार से हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 जंग सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/.038, 16/1/0.215, 16/2/.038, 17,18,23/.253 है.प्र., 24/.221 (कि.न. 17 के साथ चिपते हुए), 25/.222, (कि.न. 16 के साथ चिपते हुए) कुल 1.708 है.।

सहायक कलक्टर एवं [illegible] हनुमानगढ

9

- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 जंटा सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 19, 22/.253 है.प्र., प.न. 103/220 (45) कि.न. 2, 9/.253 है.प्र. कुल 1.012 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 बलजिन्द्र सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 24/.032 है., 25/.031, प.न. 103/220 (45) कि.न. 19 ता 23/.253 है.प्र., प.न. 103/221 (58) कि.न. 1, 2, 3/.253 है. कुल 2.087 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 सुखदीप कौर</u> – प.न. 103/220 (45) कि.न. 4/.221, 5/1/.190, 5/2/.032, 7, 14, 17, 24/.253 है.प्र, प.न. 103/221 (58) कि.न. 4/.253 है. कुल 1.708 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 सुखमन्दर सिंह</u> – प.न. 104/219 (39) कि.न. 12, 19, 22/.253 है.प्र., प.न. 103/220 (45) कि.न. 3/.253, 4/.032, 5/.031, 8, 12, 13, 18/.253 कुल 2.087 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 हर्षदीप कौर</u> – प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24/.253 है.प्र. कुल 1.771 है.। प्रतिवादी सं. 5, 9 को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त बिंदूवार खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। उक्त खाते से वादी सतनाम सिंह प्रतिवादी सं. 3 दर्शन सिंह, प्रतिवादी सं. 4 फौजा सिंह, प्रतिवादी सं. 6 मैंगा सिंह, प्रतिवादी सं. 7 लाभसिंह व खातेदार मनफूल पुत्र अमरा का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामे डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **04.03.2024** को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के निर्णय की पालना की जावें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–521 / 2022

1 सतनाम सिंह पुत्र श्री चगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

– वादी

बनाम्

1. जंग सिह पुत्र श्री हरदम सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. जन्टा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. दर्शन सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
4. फौजा सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
5. बलजिन्द्र सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. मैंगा सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
7. लाभ सिंह पुत्र श्री चगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बहाववाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
8. सुखदीप कौर पत्नि जन्टा सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. सुखमन्द्र सिंह पुत्र श्री अंग्रेज सिह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. मनोज कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. हर्शदीप कौर पत्नी रामकिशन सिंह जाति जटसिख निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. बद्रीप्रसाद पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
13. जोतराम पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
14. मोहनलाल पुत्र श्री मनफूलराम जाति जाट निवासी हिरणावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, [illegible] आर [illegible]

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ [illegible] आर.ए.एस. [illegible] इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भूपेन्द्र सिंह संधू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुनाल गौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 4, 6 एवं श्री नवील कुमार गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है किः– चक नम्बर 17 तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 49 / 85, खाता जंग सिंह आदि जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के प.न. 103 / 219 (40) कि.न. 15 / 1 / .215, 15 / 2 / .038, 16 / 1 / 0.215, 16 / 2 / .038, 17 ता 19, 22 ता 24 / .253 है.प्र., 25 / 1 / .215, 25 / 2 / 0.

Divya
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

038, प.न. 103/220 (45) कि.न. 2 ता 4/.253 है.प्र., 5/1/.215, 5/2/0.038, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 24/.253 है.प्र., प.न. 103/221 (58) कि.न. 1 ता 4/.253 है.प्र., प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 12, 17 ता 24/.253 है.प्र. कुल 10.373 है. दर्ज कृषि भूमि मय गै. मु. का निम्न प्रकार से हिस्सानुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड करने के आदेश दिए जाते है:-

- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 जंग सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 15/1/.215, 15/2/0.038, 16/1/.215, 16/2/.038, 17, 18, 23/.253 है.प्र., 24/.221 (कि.न. 17 के साथ चिपते हुए), 25/.222, (कि.न. 16 के साथ चिपते हुए) कुल 1.708 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 जंटा सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 19, 22/.253 है.प्र., प.न. 103/220 (45) कि.न. 2, 9/.253 है.प्र. कुल 1.012 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 बलजिन्द्र सिंह</u> – प.न. 103/219 (40) कि.न. 24/.032 है., 25/.031, प.न. 103/220 (45) कि.न. 19 ता 23/.253 है.प्र., प.न. 103/221 (58) कि.न. 1, 2, 3/.253 है. कुल 2.087 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 सुखदीप कौर</u> – प.न. 103/220 (45) कि.न. 4/.221, 5/1/.190, 5/2/.032, 7, 14, 17, 24/.253 है.प्र, प.न. 103/221 (58) कि.न. 4/.253 है. कुल 1.708 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 9 सुखमन्दर सिंह</u> – प.न. 104/219 (39) कि.न. 12, 19, 22/.253 है.प्र., प.न. 103/220 (45) कि.न. 3/.253, 4/.032, 5/.031, 8, 12, 13, 18/.253 कुल 2.087 है.।
- <u>हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 हर्षदीप कौर</u> – प.न. 104/219 (39) कि.न. 11, 17, 18, 20, 21, 23, 24/.253 है.प्र. कुल 1.771 है.। प्रतिवादी सं. 5, 9 को उक्तानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त बिंदूवार खाता अलग कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। उक्त खाते से वादी सतनाम सिंह प्रतिवादी सं. 3 दर्शन सिंह, प्रतिवादी सं. 4 फौजा सिंह, प्रतिवादी सं. 6 मैंगा सिंह, प्रतिवादी सं. 7 लाभसिंह व खातेदार मनफूल पुत्र अमरा का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामे डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक **04.03.2024** को जारी किया गया। नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निषादन किया जावें।

RAS
कलक्टर
अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:12:03 IST
Reason: SelfAttested